31/3/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपी. उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ता रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11/2/2021 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 RTAct की अपील से सम्बन्धित मूल

[signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हनुमान / बीनादेवी

तारीख हुक्म	56/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है जिससे यह 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील अब सारहीन हो गई है अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने इस अपील मे पारित आदेश दिनांक 25/8/20 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर रखी है, अतः रेस्पो. सर्वप्रथम उस याचिका को भी सारहीन हो जाने से खारिज फरमाये तत्पश्चात इस अपील को निस्तारित किया जावे।	
	अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्षो के अभिभाषकगणो द्वारा इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निस्तारण कर दिये जाने के तथ्य की पुष्टी करते बहस की है एवम् रेस्पो. द्वारा इस सन्दर्भ मे मूल वाद सं. 1 96/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 11/2/2021 की प्रति भी प्रस्तुत की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह 225 RTAct के तहत प्रस्तुत अपील अब सारहीन एवम् औचित्यहीन हो गई है, जिसे अब आगामी पेशी मे नियत किये जाने का कोई कारण ही शेष नही होने से अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)